बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

सं0 – 6प०/प०नि०/01–03/2026/10745/पं०रा०   पटना, दिनांक 20/7/26

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा के निमित्त निम्नलिखित आदेश देते हैं :–

आदेश

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त के सामान्य अथवा विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश तथा निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जिला दंडाधिकारी प्रत्येक प्रखण्ड में अवस्थित ग्रामों के लिये ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करेगा।

2. ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन/परिसीमन वर्ष 2011 में प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा।

3. सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों का गठन/परिसीमन राजस्व ग्राम के अनुसार नये सिरे से किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा के लिए प्रखंड को इकाई के रूप में माना जाएगा।

5. ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण प्रखण्ड के उत्तर–पश्चिम से प्रारम्भ होकर दक्षिण–पूर्व में समाप्त होगा।

6. किसी ग्राम को विभक्त नहीं किया जाएगा जबतक कि उसमें दो या उससे अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक नहीं हो।

7. एक से अधिक ग्रामों को समाविष्ट कर घोषित ग्राम पंचायत क्षेत्र का मुख्यालय उक्त क्षेत्र में समाविष्ट अधिसंख्यक जनसंख्या के ग्राम में होगा।

परन्तु यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की संख्या उक्त क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक

हो तो उसका मुख्यालय वह ग्राम होगा जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की संख्या (का अनुपात) सबसे अधिक हो।

8. ग्राम पंचायत क्षेत्र का नाम उस ग्राम के नाम से घोषित किया जायेगा जिस ग्राम में ग्राम पंचायत का मुख्यालय अवस्थित होगा, परन्तु जहाँ एक ग्राम में एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो वहाँ संबंधित क्षेत्र की अवस्थिति की दिशा के साथ उसी ग्राम के नाम से घोषित किया जायेगा।

9. ग्राम पंचायत क्षेत्र के गठन/परिसीमन में क्षेत्रों की सीमाएँ जहाँ तक संभव हो, प्राकृतिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सड़क, रेलवे लाईन और अन्य सार्वजनिक संस्थान जैसे- स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले तत्वों को भी सीमा माना जा सकता है।

10. जिला स्तर पर किये जा रहे ग्राम पंचायत क्षेत्रों का गठन/परिसीमन कार्य का सतत् अनुश्रवण संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा तथा राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

11. ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्धारण का प्रारूप प्रपत्र-1 में ग्राम पंचायत, संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के सूचना-पट पर चिपका कर प्रकाशित किया जायेगा तथा संचार के विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।

12. प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर सम्यक् विचार कर जिला दंडाधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण करेगा।

13. निर्धारित ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में कर जिला गजट में प्रकाशित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/01/26

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः-6प०/प०नि०/01-03/2026/10745/पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26

प्रतिलिपिः-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाए।

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–6प० / प०नि० / 01–03 / 2026 / 10745 / पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / महालेखाकार, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव और सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सदस्य सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) / सभी उप विकास आयुक्त / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज / सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

प्रपत्र–1

जिला दंडाधिकारी .... का कार्यालय

प्रारूप प्रकाशन

संख्या – .... ग्राम पंचायत – .... दिनांक ....

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणी के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाता है :–

जिला – .... **प्रखंड – ....**

ग्राम पंचायत का नाम	चौहद्दी	पंचायत क्षेत्र के गाँव या गाँवों का नाम	थाना संख्या	स्तंभ–3 में उल्लिखित प्रत्येक गाँव की जनसंख्या	ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की विनिश्चित संख्या				मुख्यालय	अभ्युक्ति
						अनु0 जाति	अ0ज0 जाति	पिछड़े वर्ग	स्तंभ 7, 8 एवं 9 का योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

इस संबंध में 15 दिनों के अंदर जो भी सुझाव/आपत्ति अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होगी, उनपर विचार किया जाएगा।

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

जिला दंडाधिकारी .... का कार्यालय

अंतिम प्रकाशन

संख्या – .... ग्राम पंचायत – .... दिनांक ....

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणी के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाता है :–

जिला – .... **प्रखंड – ....**

ग्राम पंचायत का नाम	चौहद्दी	पंचायत क्षेत्र के गाँव या गाँवों का नाम	थाना संख्या	स्तंभ–3 में उल्लिखित प्रत्येक गाँव की जनसंख्या	ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की विनिश्चित संख्या				मुख्यालय	अभ्युक्ति
						अनु0 जाति	अ0ज0 जाति	पिछड़े वर्ग	स्तंभ 7, 8 एवं 9 का योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर